



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1942 (श10)
(सं0 पटना 385) पटना, मंगलवार, 30 जून 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना
30 जून 2020

सं० 02/कर/शुल्क-02/2020-5124/परि०—मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपठित—मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-55 में मोटरयानों के निबंधन रद्द करने का प्रावधान है। अतः वैसे निबंधित वाहन, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है अथवा रखे-रखे विनष्ट गये हैं अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यावसायिक वाहन, जो परिचालन योग्य हों, परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हों, ऐसे वाहनों को वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदंड से रियायत) निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- (क) निबंधित वाहन के वाहन स्वामी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह सूचना संबंधित निबंधन प्राधिकार को देनी होगी कि जिस वाहन का निबंधन रद्द करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, वह वाहन चोरी ईत्यादि का नहीं है एवं इस वाहन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और यह वाहन किसी माननीय न्यायालय के किसी वाद में वांछित नहीं है।
- (ख) वाहन स्वामी द्वारा ऐसे वाहनों का निबंधन रद्द करने हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन को विनष्ट किये जाने के संबंध में सहमति देगा, तदुपरांत वाहन स्वामी को 14 दिवस के अन्दर वाहन के चेसिस संख्या को काट कर प्रस्तुत करने एवं काटे गये वाहन का फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने पर निबंधन प्राधिकार स्वयं अथवा मोटरयान निरीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच कर संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा इनका निबंधन रद्द किया जायेगा।
- (ग) ऐसे वाहन, जिन्हें वाहन स्वामी द्वारा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है या पूर्व में नष्ट हो चुका है तो उपरोक्त कंडिका-‘क’ में अंकित शर्तों के अधीन प्रमाण प्रस्तुत किये जाने एवं पूछताछ के पश्चात् आवश्यक जाँचोपरांत संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा इनका निबंधन रद्द किया जायेगा।

संबंधित निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा सर्वक्षमा में निम्नरूप से निर्धारित राशि प्राप्त कर इनका निबंधन रद्द किया जायेगा :-

क्र० सं०	सर्वक्षमा हेतु वाहनों का प्रकार	सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदण्ड से रियायत)
1.	सभी प्रकार के कर प्रमादी निजी/व्यावसायिक वाहन (टैक्सी/ मोटर कैब/ मैक्सी कैब इत्यादि), जो एकमुश्त कर देते हैं	15 वर्षों के लिए भुगतान किये गये एकमुश्त कर का 20% जमा किये जाने पर शेष देय कर एवं अर्थदण्ड की राशि से उन्हें सर्वक्षमा दी जायेगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
2.	अन्य सभी प्रकार के एक वर्ष तक के कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन,	देय कर का 20% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
3.	अन्य सभी प्रकार के एक वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक के कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन	देय कर का 15% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
4.	अन्य सभी प्रकार के 05 वर्ष से अधिक समय से कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक / मालवाहक वाहन।	देय कर का 10% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
5.	सरकारी वाहन	देय कर/अर्थदण्ड से विमुक्ति

2. उपरोक्त सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदण्ड से रियायत) का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को प्राप्त हो सकेगा, जिनका निबंधन रद्द किया जाना हो।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् अगले 01 (एक) वर्ष हेतु प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

30th June 2020

No.-02 /Tax/Fee-02 / 2020-5124 /Trans— The section-55 of Motor Vehicle Act-1988 read with Motor Vehicle (Amendment) Act-2019 lays down the provision for the cancellation of registration of vehicle, so those registered vehicles which are in tattered condition or have been condemned or have been sold to flea or are broken down due to not in use or are not suitable for use due to any technical reason or those owner of vehicles who are willing to cancel the registration because of vehicle is older than 15 years, In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (15) and proviso of section (23) of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 The State Government hereby grants amnesty (relaxation from penalty/tax exemption) under the conditions determined following:-

- The owner of the registered vehicle shall have to submit to the registering authority through a affidavit that the vehicle has not been procured by stealth and no FIR has been filed on it and the vehicle is not wanting in any case pending before the Hon'ble Court.
- In light of the filed application the registering authority shall give its nod for the condemnation of the vehicle, thereafter if the vehicle owner present the cut of chasis no. of the vehicle and photograph of the vehicle from which

chassis has been cut, the registering authority by checking own the registering authority by checking it own or by Motor Vehicle Inspector or any authorized officer by the State Government the registration could be cancelled by the registering authority.

- (c) If Certificates in support of the conditions described in point (a) are produced, the concerned registering authority shall cancel the registration of those vehicles which have been sold to the fleas or have been condemned already after due enquiry and investigation.

After receiving prescribed fee as given below in amnesty, the concerned registering authority (District Transport Officer) cancel the registration :-

Sl.	Types of Vehicle for amnesty	Amnesty (Tax exemption/Tax Concession)
1.	All types of tax defaulter/ private/ commercial vehicle (taxi/ Motor Cab/Maxi cab etc.) which are liable to pay one time tax.	Amnesty from due tax and penalty shall be given if 20% of the one time tax paid for 15 years is deposited and certificate case if any shall be waived and also interest payable on it shall be waived.
2.	All other types of commercial/ Goods carrier vehicle tax defaulter up to one year.	Amnesty shall be given of due tax and penalty if 20% of due tax is deposited and certificate case if any shall be waived and also interest payable on it shall be waived.
3.	All types of registered commercial /goods carrier vehicle defaulter for more than one year to upto 5 year.	Amnesty shall be given of due tax and penalty if 15% of due tax is deposited and certificate case if any shall be waived and also interest payable on it shall be waived.
4.	All types of registered commercial /goods carrier vehicle defaulter for more than five years.	Amnesty shall be given of due tax and penalty if 10% of due tax is deposited and certificate case if any shall be waived and also interest payable on it shall be waived.
5.	Government vehicle	Waived from due tax/penalty

2. Advantage of amnesty would be availed by only those vehicle whose registration has to be cancelled.

3. This notification shall be effective upto one year after 05 working days from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 385-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

अधिसूचना

संख्या-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0

5124

पटना, दिनांक-30/6/2020

मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-55 में मोटरयानों के निबंधन रद्द करने का प्रावधान है। अतः वैसे निबंधित वाहन, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है अथवा रखे-रखे विनष्ट गये हैं अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यावसायिक वाहन, जो परिचालन योग्य हों, परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हों, ऐसे वाहनों को वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदण्ड से रियायत) निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

(क) निबंधित वाहन के वाहन स्वामी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह सूचना संबंधित निबंधन प्राधिकार को देनी होगी कि जिस वाहन का निबंधन रद्द करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है, वह वाहन चोरी ईत्यादि का नहीं है एवं इस वाहन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है और यह वाहन किसी माननीय न्यायालय के किसी वाद में वांछित नहीं है।

(ख) वाहन स्वामी द्वारा ऐसे वाहनों का निबंधन रद्द करने हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में निबंधन प्राधिकार द्वारा वाहन को विनष्ट किये जाने के संबंध में सहमति देगा, तदोपरांत वाहन स्वामी को 14 दिवस के अन्दर वाहन के चेसिस संख्या को काट कर प्रस्तुत करने एवं काटे गये वाहन का फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने पर निबंधन प्राधिकार स्वयं अथवा मोटरयान निरीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच कर संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा इनका निबंधन रद्द किया जायेगा।

(ग) ऐसे वाहन, जिन्हें वाहन स्वामी द्वारा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है या पूर्व में नष्ट हो चुका है तो उपरोक्त कंडिका-‘क’ में अंकित शर्तों के अधीन प्रमाण प्रस्तुत किये जाने एवं पूछताछ के पश्चात् आवश्यक जाँचोपरांत संबंधित निबंधन प्राधिकार द्वारा इनका निबंधन रद्द किया जायेगा।

संबंधित निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा सर्वक्षमा में निम्नरूप से निर्धारित राशि प्राप्त कर इनका निबंधन रद्द किया जायेगा :-

क्र० सं०	सर्वक्षमा हेतु वाहनों का प्रकार	सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदण्ड से रियायत)
1.	सभी प्रकार के कर प्रमादी निजी/व्यावसायिक वाहन (टैक्सी/ मोटर कैब/मैक्सी कैब इत्यादि), जो एकमुश्त कर देते हैं	15 वर्षों के लिए भुगतान किये गये एकमुश्त कर का 20% जमा किये जाने पर शेष देय कर एवं अर्थदण्ड की राशि से उन्हें सर्वक्षमा दी जायेगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
2.	अन्य सभी प्रकार के एक वर्ष तक के कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन,	देय कर का 20% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

3.	अन्य सभी प्रकार के एक वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक के कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन	देय कर का 15% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
4.	अन्य सभी प्रकार के 05 वर्ष से अधिक समय से कर प्रमादी निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन।	देय कर का 10% कर जमा किये जाने पर उस वाहन का शेष देयकर एवं अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जाएगी एवं निलाम-पत्र वाद यदि दायर हो तो वापस ले लिया जायेगा तथा निलाम-पत्र पर सूद की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
5.	सरकारी वाहन	देय कर/अर्थदण्ड से विमुक्ति

2. उपरोक्त सर्वक्षमा (कर माफी/अर्थदण्ड से रियायत) का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को प्राप्त हो सकेगा, जिनका निबंधन रद्द किया जाना हो।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् अगले 01 (एक) वर्ष हेतु प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

Lian
29/6

संजय कुमार अग्रवाल
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124 पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Lian
29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124 पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian
29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124 पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian
29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124

पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Lian
29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124

पटना, दिनांक- 30/6/2020

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन/मैपिंग अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 05 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से करने की कृपा की जाय।

le 29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-02/2020, परि0 5124

पटना, दिनांक- 30/6/2020

प्रतिलिपि :- आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

lian 29/6

सरकार के सचिव